

ej B fodkl i kf/kdj . k

dh

vkokl h; ; kstuk on 0; kl i gh fLFkr

tkuy i kdZ dks

fufonk i) fr ds ek/; e l s yht ij

l pkyu grq fn, tkus ds l EcU/k ej

fu; e , o@ 'krkZ dh fooj.k i fLrdk

ew; : i ; s 5000@&

**मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जोनल पार्क वेद व्यासपुरी
संस्थाओं / व्यक्तियों को लीज़ पर दिये जाने हेतु निविदा की नियम एवं
शर्तें&**

1. जोनल पार्क वेद व्यासपुरी सील्ड निविदा आवेदन पत्र प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11:00 बजे से 2:00 बजे सांयकाल तक प्राधिकरण सभाकक्ष में रखे टेण्डर बॉक्स में डाले जाएंगे। निविदा प्रपत्र दो लिफाफों में होंगे एक लिफाफे में सम्पूर्ण प्रस्ताव होगा तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय दर होगी। विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव की ही वित्तीय बिड बोर्ड के समक्ष खोली जायेगी। प्राप्त निविदा आवेदन पत्र उसी दिन सांयकाल 2.30 बजे प्राधिकरण कार्यालय स्थित सभाकक्ष में समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेंगे। प्राप्त सील्ड निविदा आवेदन पत्रों में उल्लिखित दरों में से उच्चतम दर पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा। उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को पूर्ण अधिकार होगा कि वे सर्वोच्च निविदा आवेदन पत्र को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत कर सकते हैं, तथा पुनः निविदा आवेदन पत्र आमन्त्रित कर सकते हैं। इच्छुक आवेदकों को अपने निविदा आवेदन पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित नियम एवं शर्ते संलग्न करना अनिवार्य है। जिस निविदा आवेदन पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित नियम एवं शर्ते संलग्न होना नहीं पाया जायेगा, उन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा आवेदनकर्ता भारतीय नागरिक हो, तथा आयु 18 वर्ष से कम न हो।
3. निविदा आवेदनकर्ता फर्म/समिति/संस्था/कम्पनी को अपना पंजीकरण नम्बर भी देना होगा। पंजीकरण प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रति भी निविदा आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी।
4. निविदा आवेदनकर्ता को निविदा आवेदन पत्र के साथ रूपये 10,00,000/- (रु० दस लाख) धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे—आर्डर, जो सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में, मेरठ में देय हो, मूल रूप में संलग्न कर प्राधिकरण सभाकक्ष में रखे निविदा बॉक्स में नियत तिथि/समयावधि में डालना होगा। बैंक ड्राफ्ट/पे—आर्डर के बिना दिये गये निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा आवेदन पत्र में सभी विवरण सही—सही भरे जायें। अपूर्ण एवं सशर्त निविदा आवेदन पत्र तथा आरक्षित मूल्य के कम निविदा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। निविदा आवेदन पत्र में अंकित की गयी सूचना असत्य पाये जाने पर अनुरक्षण/संचालन हेतु दिया गया पत्र एवं अनुबन्ध निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. इच्छुक निविदा आवेदनकर्ता को निविदा आवेदन पत्र में प्रस्तावित धनराशि रिक्त स्थान के समुख अंकित करनी होगी। इसके साथ ही हैसियत एवं चरित्र प्रमाण—पत्र जो जिलाधिकारी द्वारा छः माह के अन्दर निर्गत किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. अनुरक्षण/संचालन हेतु विज्ञापित जोनल पार्क का प्रयोग अनुमन्य क्रियाए (संलग्न) ही संचालित की जाएगी। वैवाहिक कार्यक्रम/धार्मिक कार्यक्रम/राजनैतिक सभाओं/रैली हेतु जिनमें कानून व्यवस्था का प्रश्न निहित हो, अनुमन्य नहीं होगे।

8. अनुबन्धकर्ता व्यक्ति/संस्था को प्रत्येक तिमाही में यथानिर्धारित तिथि पर रूपये 12,50,000/- (रूपये बारह लाख पचास हजार) फिक्स चार्जर्ज के रूप में प्राधिकरण कोष में जमा कराने होंगे, जो कि लगातार दस वर्षों तक प्रति तिमाही देय होंगे। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि निविदा में अंकित वार्षिक दर आरक्षित मूल्य रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख) के अतिरिक्त देय होगी। कब्जा दिनांक से 6 (छ:) माह उपरान्त तिमाही किश्तें प्रारम्भ होंगी।
9. आवेदन के साथ रूपये 10,00,000/- (रूपये दस लाख) बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर जो सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में मेरठ में देय हो जमा करना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट के बिना दिए गए निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। कुल देयता के सापेक्ष अवशेष धनराशि निविदा आवेदन पत्र की स्वीकृति के 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि तक अवशेष धनराशि का भुगतान करके सूचित न करने पर दी गयी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी तथा टोकन मनी/धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. जमानत धनराशि के रूप में ₹ 50,00,000/- की धनराशि सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम से देय पेय आर्डर/ बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी, जो सम्पूर्ण अवधि के बाद समिति से कोई क्षति/टूट-फूट अथवा अन्य कोई देयता न होने की आख्या प्राप्त होने पर वापस की जा सकेगी तथा कोई क्षति/टूट-फूट अथवा अन्य कोई देयता पाये जाने पर जमानत धनराशि से कटौती करके अवशेष धनराशि वापस की जाएगी। संचालक को वार्षिक संचालन सम्बन्धी अनुबन्ध भी करना होगा, जिसका व्यय संचालक को स्वयं वहन करना होगा। आवेदक को जोनल पार्क का कब्जा, (कब्जा तिथि देय) पूर्ण भुगतान के बाद ही दिया जायेगा। यदि जोनल पार्क का उपयोग करने की अवधि पूर्ण होने पर रूपये 50,00,000/- से अधिक की टूट-फूट होनी पायी जाती है या अन्य कोई देयता समिति द्वारा निर्धारित की जाती है तो निर्धारित धनराशि अनुबन्ध करता देने के लिये बाध्य होगा यदि अवशेष धनराशि जमा न करायी जाने की दशा में प्राधिकरण भू-राजस्व की भाँति वसूलने के लिये स्वतन्त्र होगा।
11. निविदा आवेदन पत्र में प्राप्त उच्चतम दर के आधार पर ही किसी व्यक्ति अथवा फर्म का अनुरक्षण/ संचालन का अधिकार नहीं माना जाएगा। अनुरक्षण/संचालन का अधिकार उसी समय माना जाएगा जब सक्षम स्तर अर्थात उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृति उपरान्त अनुरक्षण/संचालन हेतु पत्र जारी हो जाएगा तथा समस्त वांछित धनराशि समय से जमा करके समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अनुबन्ध निष्पादित कराते हुए कब्जा दे दिया जाएगा।
12. अनुरक्षण/संचालन हेतु आफर प्रक्रिया की किसी भी कार्यवाही को किसी भी स्तर पर अथवा पूरी प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित है। इसी प्रकार अनुरक्षण/संचालन हेतु आफर प्रक्रिया, आफर के पूर्व शर्तों को प्राधिकरण हित में संशोधित करने या कोई अन्य उपबन्ध प्राविधानित करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण में निहित होगा।
13. जोनल पार्क किसी ऐसे उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जायेगा जो संविधान सम्मत न हो तथा जिससे प्रत्येक या परोक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता हो या देशद्रोह की भावना व्यक्त होने की संभावना हो, जिससे भारतीय संस्कृति एवं एकता अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित हो या किसी समुदाय

- की भावनाओं के आहत होने की संभावना हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो।
14. जोनल पार्क में लगी हुई फिटिंग के अतिरिक्त बिजली/पानी के उपयोग हेतु विद्युत विभाग से अस्थायी कनेक्शन प्राप्त करना होगा, तथा पूर्व से उपलब्ध विद्युत कनेक्शन का भी व्यय उपभोक्ता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा जोनल पार्क के विद्युत एवं जल संयोजन के नियमित बिलों का भुगतान संचालक द्वारा किया जाएगा।
 15. जोनल पार्क में किसी भी कार्यक्रम/समारोह के दौरान किसी भी प्रकार के असलहों (शस्त्रों) आदि से हर्ष फायरिंग प्रतिबन्धित होगी पार्क स्थल पर शस्त्रों/असलहों/धारदार हथियारों आदि, जिनसे क्षति पहुच सकती है, का उपयोग सर्वधा निषिद्ध होगी।
 16. गाड़ियों की पार्किंग निर्धारित स्थल पर सही तरीके से की जायेगी।
 17. माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों एवं जिला मजिस्ट्रेट के पत्र संख्या—709/मुन्सरिम/व्यवस्था/वी0आई0/2007 दिनांक 09.08.2007 द्वारा एवं ध्वनि मानकों के संदर्भ में दिये गये निर्देशों के क्रम में जोनल पार्क में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा।
 18. प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार को जोनल पार्क में प्रवेश शुल्क से लेकर अन्य सुविधाओं हेतु निर्धारित शुल्क, निःशुल्क रखकर सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, (खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त)
 19. आवेदकों को एक वर्ष की अवधि के दौरान बुकिंग के लिये ली जाने वाली अधिकतम् किरायें की दर का उल्लेख स्वांकलन के अनुसार करना होगा। इसके अतिरिक्त विभाजित फिक्स चार्जस भी अतिरिक्त रूप से देय होगा। कृपया निम्नलिखित तालिका में दर का उल्लेख करें—

tkuy i kdl on 0; kl i jh	okf"kl d nj : i ; s ½ vdk s e½----- ----- : i ; s ½ kcnks e½----- -----
-----------------------------	--

20. जोनल पार्क वेदव्यास पुरी जहा है—जैसा है के आधार पर अनुरक्षण/संचालन हेतु दिया जायेगा। संचालन करने वाली फर्म इनके ले—आउट एवं निर्माणों में किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्द्धन नहीं करेगी, यदि आवश्यक हो तो प्राधिकरण द्वारा गठित समिति से उसकी पूर्ण अनुमति ली जानी आवश्यक होगी। जोनल पार्क में प्रवेश शुल्क व पार्किंग शुल्क का निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा। तथा जोनल पार्क के अन्दर आवेदक द्वारा विकसित/स्थापित की गयी सुविधाओं हेतु (खाद्य पदार्थों का छोड़कर) शुल्क/दरों का अनुमोदन समिति से लिया जाना अनुवार्य होगा। समिति के सदस्य 1. सचिव (अध्यक्ष) 2. वित्त नियंत्रक, 3. मुख्य नगर नियोजक, 4. समपत्ति अधिकारी गैर आवासीय सम्पत्ति 5. अधीक्षण अभियन्ता 6. उद्यान अधिकारी होंगे। उक्त समिति शुल्कों के पूरीक्षण की भी सामीक्षा करगी।

21. (एम्यूजमैन्ट पार्क के रूप में) पार्क विकसित/मेन्टन करने वाली संस्था को निम्नलिखित क्रियाओं को अनुमन्य किया जाना प्रास्तावित है।
1. कैफिटेरिया
 2. क्लब
 3. एम्फी थियेटर
 4. वोटिंग पॉड/वाटर वोडी/वाटर पार्क
 5. रेन डॉन्स एरिया
 6. हट
 7. हैन्डी क्रापट मार्किट
 8. विभिन्न प्रकार राइड्स एवं झूले
 9. किटी पार्टी एरिया
 10. लेज़र शो
 11. म्यूजिकल फाउन्डेशन
 12. योग साधना—मनन केन्द्र
 13. जन सुविधाएँ
 14. पार्किंग सुविधा

उपरोक्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु कुल पार्क एरिया का अधिकतम 2 प्रतिशत क्षेत्रफल आच्छादन एवं एफ००ए०आर० के रूप में अनुमन्य होगा।

(विस्तृत जानकारी सी.टी.पी./सम्पत्ति अधिकारी गैर आवासीय सम्पत्ति से किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है।)

22. जो सुविधाएँ निविदादाता द्वारा स्थायी /अस्थायी विकसित की जाएँगी, वे लीज अवधि के बाद प्राधिकरण की सम्पत्ति होगी, जिसका प्राधिकरण कोई भी भुगतान उक्त के विकासकर्ता को नहीं करेगा। प्राधिकरण को निःशुल्क समस्त सुविधायें निविदादाता स्वहस्तान्तरित की जाएगी। विकसित की गयी समस्त सुविधाओं/क्रियाओं को अनुरक्षित करने का उत्तर दायित्व/निविदादाता का होगा तथा प्राधिकरण को हस्तान्तरण के दौरान समस्त सुविधाएँ संचालित रूप में ही उपलब्ध करायी जाएँगी।
23. कार्य संचालन की अवधि कब्जा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष है। उपर्युक्त तिथि तक जोनल पार्क का रख—रखाव निर्धारित शर्तों के अनुरूप उत्कृष्ट पाये जाने एवं किसी भी शर्त का उल्लंघन न होने पर गठित समिति निरीक्षण कर तिथि सहित फोटोग्राफ पत्रावली पर रखते हुए अपनी संस्तुति उपाध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगी। तदनुसार जोनल पार्क का रख—रखाव एवं कार्य संचालन निर्धारित शर्तों के अनुरूप तथा सन्तोषजनक पाए जाने पर 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ प्रत्येक द्विवार्षिक

अवधि हेतु समयवृद्धि पर विचार किया जायेगा। यद्यपि लीज अधिकतम 10 वर्षों के लिये है, किन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि यह समय वृद्धि अन्तिम होगी और उसके पश्चात नए सिरे से विज्ञापित किया जायेगा।

24. यदि निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंखन किया जाता है तब धरोहर राशि को जब्त करते हुए लीज को रद्द कर दिया जाएगा तथा किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।
25. सफल निविदादाता को जन सामान्य के सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
26. निर्धारित नियमों व शर्तों में परिवर्तन का अधिकार बोर्ड, मेरठ विकास प्राधिकरण में निहित होगा, तथा किसी भी विवाद की दशा में बोर्ड का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
27. आवेदन पत्र प्राधिकरण की वेबसाईट से डाउनलोड करने की दशा में आवेदन पत्र मूल्य रुपये 5000/- का ड्राफ्ट उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

॥ੴ ਕੈ ਫ਼ਿਲਸ ਏਂ ਰਦੁਹਦਾਫ਼ਮੱ॥

ਸੰਖਧਾ
.....

ਮੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ, ਮੇਰਾ

ਤਕਾਅ ਇਕਾਨਾਂ ੦; ਕਿ ਇਹ ਦਕ ਵੁਝ {ਕ.ਕ@। ਪਕਾਅ ਗੁਰੂ ਰੇਜੀਡੇਨਟ ਕੇਲਫੇਯਰ
ਏਸੋਸਿਏਸ਼ਨ / ਪੱਜੀਕੂਤ ਕੇਲੇਡੀ ਇੱਥੇ। ਫੇਫਰੇ। ਲੋਫਕਕਵਾਂ। ਫ਼ਾਰ। ਕਾਂਡਕ ਫ਼ਨ। ਸ਼ਕੁਸ ਦਿ
ਲੋਕ ਏਂ।

ਰਦੁਹਦਾਫ਼ ਵਕਾਨੂ ਇੰ

- | | | |
|--|-------|--|
| 1- ਵਕਾਨੂਦ ਦਕ ਉਕੇ % | ----- | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> ਵਕਾਨੂਦਰਕ
ਦਕ
ਲੋਕਫ.ਕਰ
ਕਾਂਡਕਾਂ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> ਨ੍ਯੂ ਹਕਕੀ ਲੋ ... </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> </div> |
| 2- ਫਿਰਕਾਵਿਫਰ ਦਕ ਉਕੇ % | ----- | |
| 3- ਮੇਂ % | ----- | |
| 4- ਲੋਫਕਕ; ਹਿਰਕ % | ----- | |
| 5- ਇੰ = ੦; ਓਕਾਂ ਦਕ ਇਰਕ % | ----- | ----- |
| 6- ਲਾਕੁ ਦਕ ਫ਼ਲਰੀ ਫੂਜ .ਕ% | ----- | ----- |
| 7- ਇਲਰਕਾਵ ਇਕਾਨਾਂ ਦਕ ਫ਼ਲਰੀ ਫ਼ਮਟਕਬੁ ॥
Hard copy ਏਂ ਰਾਹੁ ਇਫਰ; ਕਾਂਡੇ ਰਫ਼ਕ ॥
Soft copy । ਹ-ਮਹ- ਏਂ ਰਾਹੁ ਇਫਰ; ਕਾਂਡੇ ਇਲਰੀ ਦਾ ਤਕ; ॥ | ----- | ----- |

॥१॥ रह; फ्यूक्केस एः फोरह; फ्लॅम्ह

संख्या

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

त्वयु इ क्द्वै ओ; क्ल इ ज्ह द्क व्युज {क.क@। प्यु ग्रॅ रेजीडेन्ट वेलफेयर
एसोसिएशन / पंजीकृत Qe]@dEi uh@। fefr@। ॥Fkkvks@।; fDr; क्ल dks fn; s tkus ds
। EcU/k eः

fufonk vkonu i =

- 1- vkonudrklz dk uke %<-----
- 2- firk@ifr dk uke %<-----
- 3- mez %<-----
- 4- LFkk; h i rk %<-----
- 5- i = ।; ogkj dk i rk %<-----
- 6- vkonudrklz dk cd [kkrk l a[; k o cd dk uke ---
॥५॥ fn vkonudrklz Qe] l fefr] l ॥Fkk ; k dEi uh gS rks i athdj .k i zek.k o
e[ekjs Me dh i zek.kr i fr vkonu i = ds l kFk l gyXu dj॥५ i athdj .k l a[; k ---
- 7- gfl ; r i zek.k i = %<-----
- 8- pfj = i zek.k&i = %<-----
- 9- /kjkgj jkf'k vdu : i ; s dk cd M1QV@i s
vkMj dh l a[; k o fnukd -----

vkonudrklz
dk
Loi zekf.kr
QksVkxtkQ

॥६॥ हक्कूक । १ ---

----- cd dk uke -----

- 10- vkonudrkL }kj k , d o"kl dh vof/k grq/kuj kf'k ftI ij tkuy i kdL dks yht ij yus dk bPNp gS di;k mYs[k dj;k /kuj kf'k : i ; s -----

WQDI tkpit : i ; s 12]50]000@& =ekfl d] tkfd yxkrkj 10 o"kk rd
ifr frekgh ns gkxkA %

(प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी नियम—शर्तों का निविदा आवेदनकर्ता ने अध्ययन कर लिया गया है जो मान्य है तथा जिसकी हस्ताक्षरयुक्त प्रति संलग्न है।)
आवेदन की तिथि.....